GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO.373

TO BE ANSWERED ON THE 1ST DECEMBER, 2021/ 10 AGRAHAYANA, 1943 (SAKA)
SHORTAGE OF FUNDS FOR SECURITY FORCES

373. DR. KIRODI LAL MEENA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government is aware of the fact that some security forces, paramilitary forces and investigative agencies, etc. are facing shortage of funds for their day-to-day activities like ration allowances, etc;
- (b) if so, the details thereof and the steps being taken by Government in this regard;
- (c) whether Government is considering to provide paramilitary forces leave and transfer benefit to their home States, if so, the details thereof; and
- (d) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI)

- (a): There is no shortage of funds in Central Armed Police Forces (CAPFs)/Paramilitary Forces and Investigative Agencies for their day to day activities.
- (b): Question does not arise.
- (c)&(d): Leave and transfer benefits to the Central Armed Police Forces (CAPFs)/Paramilitary Forces personnel are being regulated in accordance with the extant leave rules and transfer policy of the respective Forces.

भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 373

दिनांक 01.12.2021/ 10 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

स्रक्षा बलों के लिए निधियों की कमी

373# डा. किरोडी लाल मीणा

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ स्रक्षा बल, अर्ध सैनिक बल और जांच एजेंसियों आदि राशन भत्ते आदि जैसी अपनी दिन - प्रतिदिन की गतिवधियों के लिए निधि की कमी का सामना कर रही हैं:
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार दवारा इस संबंध क्या कदम उठाए जा रहें हैं:
- (ग) क्या सरकार अर्धसैनिक बलों को उनके गृह राज्यों के लिए अवकाश और स्थानान्तरण लाभ देने का विचार कर रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफएस)/अर्धसैनिक बलों और जांच एजेंसियों के पास उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
- (ख) प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) और (घ) केंद्रीय सशस्त्र प्लिस बलों (सीएपीएफएस)/अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के अवकाश और स्थानांतरण लाभों को संबंधित बलों के मौजूदा अवकाश नियमों और स्थानांतरण नीति के अनुसार विनियमित किया जा रहा है।
